

राज्य में हरति पटाखों का ही होगा विक्रय एवं उपयोग, दीवाली में 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे चर्चा में क्यों?

26 अक्टूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में केवल हरति पटाखों का उपयोग एवं विक्रय ही हो सकेगा। साथ ही दीपावली, छठ, गुरु पर्व, नया वर्ष/क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने के लिये दो घंटे की अवधि निर्धारित की गई है।

प्रमुख बिंदु

- उच्चतम न्यायालय तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मार्गदर्शिका के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में नरिदेशों का कड़ाई से पालन करने हेतु ज़िला प्रशासन के अधिकारियों को नरिदेशित किया गया है।
- दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नया वर्ष/क्रिसमस के मौके पर दो घंटे की अवधि पटाखे फोड़ने के लिये नरिधारित की गई है। दीपावली के लिये रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा के लिये सुबह 8 बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिये रात 8 बजे से रात 10 बजे तक का समय नरिधारित किया गया है। क्रिसमस/नया वर्ष के लिये रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से रात्रि 12 बजकर 30 मिनट का समय नरिधारित किया गया है।
- शीत ऋतु में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु (प्रदूषण नविवरण तथा नरियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतर्बिधित किया गया है।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा 23 नवंबर, 2018 को पारित आदेश के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में कुछ अन्य नरिदेश भी दिये गए हैं। इनमें कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरति पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसड ट्रेडर द्वारा किये जाने के नरिदेश दिये गए हैं।
- साथ ही केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिये बाज़ार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर नरिधारित सीमा के भीतर हो। सीरीज़ पटाखे अथवा लड़कियों की बिक्री, उपयोग एवं नरिमाण प्रतर्बिधित किया गया है।
- पटाखों के ऐसे नरिमाताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के नरिदेश दिये गए हैं, जिनके द्वारा पटाखों में लीथियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। ऑनलाइन, अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाइटों, जैसे- फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतर्बिधित रहेगी।